

# बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

( अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम )

34, हार्डिंग रोड, ( अली इमाम पथ ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

( Email=minocorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संख्या:----- बी० एस० एम० एफ० सी०, /

पटना, दिनांक: -----

## स्वीकृत्यादेश

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के ज्ञाप संख्या-3060 दिनांक-03.012.2016 (पू०-38/90) के आलोक में राज्य सम्पौत मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक-08.03.17 एवं 09.03.17 को चयनित प्रक्षेत्रवार आवेदकों में से निम्नोक्त आवेदकों से प्रमण्डलीय प्रभारी द्वारा समस्तीपुर जिला के जुटिहीन कागजीकरण/दस्तावेज निस्पादित करणकर उनके द्वारा स्थल जाँच कर समर्पित किये गए स्थल जाँच प्रतिवेदन में ऋण राशि की स्वीकृति देने के लिए की गई अनुशंसा के आधार पर कुल 01 लाभुक को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 2127 दिनांक 05.12.2018 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतये के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभुकों के बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

Sl. No	चरण नुमां क्रम-	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Embossing Charge 2030/-	Net Payable Amount
	78	MD SIRAJ, S/o- LATE MD KAYAMUDDIN ANSARI, Vill.- CHAKNWADA, Block-DALSING SARAI, PS- CHAKNWADA, PO- CHAKNWADA, Distt.- SAMASTIPUR-848114, Mob- 9525923837	A/c No.:- 415002010005914 IFSC:- UBIN0541508	BAKARI PALAN	500000	2500	2030	495470
TOTAL					500000	2500	2030	495470

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पतियों/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सुजित की गयी परिसम्पतियों अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है ।

80/-

प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापंक:- 825

दिनांक:- 20-5-2020

प्रतिलिपि:- सभी ऋणधारकों/ऋण शाखा/ऋण शाखा(कम्प्युटर सेल)/लेखा शाखा/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी एवं आई० टी०

मैनेजर को सम्बन्धित बैंक को ई-मेल हेतु सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

  
प्रबन्ध निदेशक